झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

तृतीय झारखण्ड विधान-सभा

नवम् सत्र

वर्ग-04

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, वृहस्पतिवार, दिनांक 15 भाद्र, 1934 {श0} / 06 सितम्बर, 2012 {ई0} को झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे:-

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सा0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06.
70.	अ0सू0-18	श्री प्रदीप यादव	घोटाले की जाँच ।	सहकारिता	26.08.12
71.	अ0सू0-27	श्री संजय प्रसाद यादव	पावर ग्रिड की स्थापना ।	ऊर्जा	01.09.12
72.	अ0सू0-11	श्रीमती अन्नपूर्णा देवी	राशन कार्ड उपलब्ध कराना ।	खाद्य, सार्व0 एवं उपभोक्ता मामले	22.08.12
73.	अ0सू0-09	श्री पौलुस सुरीन	प्रोन्नति देने का विचार ।	जल संसाधन	22.08.12
74.	अ0सू0-13	श्री बंधु तिर्की	दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई ।	कल्याण	24.08.12
75.	अ0सू0-07	श्री संजय कु0 सिंह यादव	विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण ।	ऊर्जा	21.08.12
76.	अ0सू0-01	श्री जनार्दन पासवान	भवन का निर्माण ।	स्वा0चि0 एवं परि0 कल्याण	14.08.12
77.	अ0सू0-22	श्री माधवलाल सिंह	सिविल सर्जन पर कार्रवाई ।	स्वा0चि0 एवं परि0 कल्याण	29.08.12
78.	अ0सू0-25	श्री बन्ना गुप्ता	कुपोषण दूर करना ।	कल्याण	01.09.12
79.	अ0सू0-05	श्री समरेश सिंह	भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई ।	स्वा0चि0 एवं परि0 कल्याण	21.08.12

{कृ0पृ0उ0}

01.	02.	03.	04.	05.	06.
30.	अ0सू0-15	श्री चन्द्रशेखर दूबे	सिंचाई की सुविधा ।	जल संसाधन	24.08.12
31.	अ0सू0-06	श्री योगेन्द्र साव	बजट उपलब्ध कराना ।	जल संसाधन	21.08.12
32.	अ0सू0-16	श्री अरविन्द कु0 सिंह	विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ करना ।	स्वा0चि0 एवं परि0 कल्याण	25.08.12
33.	अ0सू0-23	श्री अमित कु0 यादव	राशि का भुगतान ।	सहकारिता	31.08.12
34.	अ0सू0-10	श्री जगरनाथ महतो	ब्रेकर लगाना ।	ऊर्जा	21.08.12
35.	अ0सू0-14	श्रीमती अन्नपूर्णा देवी	डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति ।	स्वा0चि0 एवं परि0 कल्याण	24.08.12
36.	अ0सू0-02	श्रीमती कुन्ती देवी	ट्रांसफार्मर की व्यवस्था ।	ऊर्जा	14.08.12
37.	अ0सू0-21	श्री रघुवर दास	टरसिम्यरी केयर सुविधा देना ।	स्वा0चि0 एवं परि0 कल्याण	26.08.12
38.	अ0सू0-08	श्री संजय कु0 सिंह यादव	कब्रिस्तान का निर्माण ।	कल्याण	21.08.12
39.	अ0सू0-04	श्री बन्ना गुप्ता	एजेन्सी पर कार्रवाई ।	ऊर्जा	21.08.12
40.	अ0सू0-26	श्री संजय प्रसाद यादव	गार्डवाल का निर्माण ।	जल संसाधन	01.09.12
41.	अ0सू0-19	श्री सावना लकड़ा	पथ की मरम्मति ।	जल संसाधन	25.08.12
42.	अ0सू0-24	श्री सावना लकड़ा	एकरारनामा का शर्त ।	जल संसाधन	31.08.12
43.	अ0सू0-12	श्री बंधु तिर्की	मुआवजा का भुगतान ।	कल्याण	22.08.12
44.	अ0सू0-17	श्री अरविन्द कु0 सिंह	कम्पनियों पर कार्रवाई ।	ऊर्जा	25.08.12
45.	अ0सू0-20	श्री प्रदीप यादव	सहायक विद्युत अभियन्ता पर कार्रवाई ।	ऊर्जा	26.08.12

रांची
दिनांक-06 सितम्बर,2012{ई0}

समरेन्द्र कुमार पाण्डेय
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,रांची ।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-वर्ग-04 3066 /वि0स0,रांची,दिनांक- 04 सितम्बर,2012 ई0 ।

प्रतिलिपि:-झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/मुख्यमंत्री/उप मुख्यमंत्रिगण/मंत्रिगण/संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

04.09.12.
{सोनोत सोरेन}
उप सचिव
झारखण्ड विधान-सभा,रांची ।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-वर्ग-04 3066 /वि0स0,रांची,दिनांक- 04 सितम्बर,2012 ई0 ।

प्रतिलिपि:-अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/सचिवीय कार्यालय/उप सचिव {प्रश्न}, झारखण्ड विधान-सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित ।

04.09.12.

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 06.9.2012 को पूछे जानेवाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–18 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
01– क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य में वित्तीय वर्ष 2011–12 में न्यूनतम समर्थन मूल्य 1080 रू0 प्रति क्विंटल दर से सभी जिलों में धान की खरीददारी हुई है; (प्रभात खबर, राँची–04/04/2012)	स्वीकारात्मक।
01– क्या यह बात सही है कि विभाग के अनुसार उन जिलों में धान की अधिक खरीददारी की गयी है, जहाँ धान का पैदावार कम होता है;	अस्वीकारात्मक, विभाग द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2011–12 के दौरान कुल 4,26,670 टन धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से की गयी। वर्ष 2011 के दौरान मानसून की अच्छी वर्षा होने के कारण राज्य में धान का रेकार्ड उत्पादन हुआ। कृषि विभाग के अनुसार वर्ष 2011–12 में राज्य में कुल 51,15,000 टन धान की उपज हुयी।
03– क्या यह बात सही है कि धान की खरीददारी में अरबों रूपये का हेराफेरी हुआ है और सरकार के द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है;	अस्वीकारात्मक।
04– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उपरोक्त धान खरीददारी घोटाले का जाँच सी.बी.आई. से कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

ज्ञापांक–प्र0–1/वि0स0–85/2012– 2915/राँची, दिनांक 3-9- 2012

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप सं0 प्र0–2959/वि0स0, दिनांक 26.8.2012 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.9.2012

(नरेश प्रसाद सिंह),
सरकार के संयुक्त सचिव।

(71)

श्री संजय प्रसाद यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–06.9.2012 को पूछा जाने वाला

अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–27 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री संजय प्रसाद यादव, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत बसंतराय प्रखंड के परसिया, केमा, रोपनी आदि ग्रामों में आज तक विद्युत व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि 2012 ई० तक सभी ग्रामों की विद्युत व्यवस्था कर लेने का लक्ष्य निर्धारित है ;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि गोड्डा में पावर ग्रीड की स्थापना नहीं की गई है ; जिससे विद्युत व्यवस्था खराब रहती है ;	स्वीकारात्मक है। वर्तमान में गोड्डा जिला को ललमटिया ग्रीड (जो गोड्डा जिला में ही अवस्थित है) से सामान्य रूप से विद्युत आपूर्ति की जा रही है। गोड्डा से ललमटिया की दूरी लगभग 30 कि०मी० है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बसंतराय प्रखंड के सभी ग्रामों में विद्युत व्यवस्था तथा गोड्डा में पावर ग्रीड की स्थापना करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	बसंतराय प्रखंड के सभी ग्रामों का विद्युतीकरण कार्य आर०जी०जी०भी०वाई० योजना के तहत् एन०ई०एस०सी०एल० गोड्डा द्वारा कराई जा रही है। बसंतराय प्रखंड से परसिया, केथा, रोपनी में तीन माह के अंदर एन०ई०एस०सी०एल०, गोड्डा द्वारा विद्युतीकरण का कार्य कर दिया जायेगा। बसंतराय प्रखंड के शेष बचे हुए ग्रामों का विद्युतीकरण इस वित्तीय वर्ष मार्च'2013 तक कराने का लक्ष्य है। गोड्डा जिला में ललमटिया ग्रिड के पूर्व से ही अवस्थित होने के कारण वर्तमान में बोर्ड का कोई अतिरिक्त पावर ग्रिड निर्माण करने का प्रस्ताव नहीं है ।

झारखण्ड सरकार,

ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2417 / दिनांक 05-09-2012

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/9/12

सरकार के अवर सचिव

राशन कार्ड उपलब्ध कराना ।

प्र.मु. 72. श्रीमती अन्नपूर्णा देवी--क्या मंत्री, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मई, 2011 में ए०पी०एल० और बी०पी०एल० परिवारों को नया राशन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने आवेदन माँगा था, जिसमें कुल 67.47 लाख आवेदन प्राप्त हुए परन्तु माह जुलाई ~~माह~~ 2012 तक भी राशन कार्ड उपलब्ध नहीं कराया जा सका है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार 67.47 लाख परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री

(1) स्वीकारात्मक ।

(2) विभाग द्वारा प्राप्त आवेदनों के अंकीकरण (Digitization) एवं परिवारों की फोटो स्कैनिंग का कार्य किया जा रहा है । राशन कार्ड मुद्रण की निविदा को अंतिम रूप दे दिया गया एवं मुद्रण का आदेश सफल निविदादाता को दे दिया गया है । बार कोडेड एवं परिवार की रंगीन फोटोयुक्त नये राशन कार्ड का वितरण 15 अगस्त, 2012 से शुरू किया गया है ।

दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई ।

3-प्र

74. श्री बंधु तिर्की--क्या मंत्री, कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवम्बर, 2010 में कुल 29 (अनु० जाति, आ०ज० जाति, पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक जाति) चयनित प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के लिए साईं फलाईटेक एविएशन प्रा० लि० विलासपुर, छत्तीसगढ़ भेजा गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त संस्थान के सी०एफ०आई० कैप्टन विमल कुमार के पी-II की मान्यता डी०जी०सी०ए० के द्वारा रद्द कर दिये जाने के बाद सभी 29 प्रशिक्षुओं को 12 नवम्बर, 2011 को राँची वापस बुला लिया गया है और प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण नागर विमानन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची द्वारा कराया जाना था;

(3) क्या यह बात सही है कि नागर विमानन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को भी डी०जी०सी०ए० की मान्यता अब तक नहीं मिलने के कारण नौ महीने बीत जाने के बाद भी प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका है;

(4) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार चयनित प्रशिक्षुओं को पायलट प्रशिक्षण शीघ्र प्रारम्भ कराने एवं दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री

(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) स्वीकारात्मक है ।

(3) स्वीकारात्मक है ।

(4) वस्तुस्थिति यह है कि साईं फलाईटेक एविएशन प्रा० लि० विलासपुर, छत्तीसगढ़ से प्रशिक्षुओं को वापस बुलाने के बाद इनके शेष अवधि का प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए झारखण्ड राज्य के नागर विमानन विभाग से प्रशिक्षण कराने के लिये अनुरोध किया गया था । परन्तु स्पष्ट जबाव नहीं मिलने के कारण अब विभाग द्वारा इन पायलट प्रशिक्षुओं को गर्ग एविएशन, लखनऊ से शेष अवधि का प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूर्ण करने का प्रस्ताव है ।

---

(75)

श्री संजय कुमार सिंह यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–06.9.2012 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–07 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री संजय कुमार सिंह यादव, माननीय स०वि०स०		उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत पिपरा प्रखण्ड मुख्यालय में विद्युत सब–स्टेशन का निर्माण नहीं कराया गया है ;		स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित पिपरा प्रखण्ड में विद्युत सब–स्टेशन नहीं रहने के कारण विद्युत आपूर्ति में दिक्कत हो रही है;		अस्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पलामू जिलान्तर्गत पिपरा प्रखण्ड में विद्युत सब–स्टेशन का निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?		पिपरा प्रखण्ड में बोर्ड के प्रावधान के अनुसार विद्युत सब–स्टेशन का निर्माण होना है। इस सम्बन्ध में निर्णय हेतु आवश्यक कार्रवाई की जानी है। वर्त्तमान में पिपरा प्रखण्ड क्षेत्र में हरिहरगंज विद्युत उपकेन्द्र से विद्युत आपूर्ति की जा रही है। पिपरा प्रखण्ड को आवश्यकतानुसार पर्याप्त विद्युत उक्त लाईन के माध्यम से आपूर्ति की जा सकती है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2353 / दिनांक 03-09-2012

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/9/12

सरकार के अवर सचिव

(76) अ.प्र.सं.

माननीय विधायक श्री जनार्दन पासवान द्वारा दिनांक 06.09.12 को सदन पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्र0सं0 अ0सू0–01 से संबंधित उत्तर सामग्री

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि चतरा जिला के सभी प्रखण्डों यथा– टंडवा, सिमरिया, हंटरगंज, ईटखोरी के स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है;	आंशिक स्वीकारात्मक है । चतरा जिलान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टंडवा, सिमरिया, हंटरगंज एवं ईटखोरी के भवन की स्थिति निम्न प्रकार है:– सी0एच0सी0, टण्डवा– भवन निर्माण पूर्ण होने की स्थिति में है । सी0एच0सी0, सिमरिया– भवन सही स्थिति में है । सी0एच0सी0, हंटरगंज एवं ईटखोरी– भवन निर्माण कार्य जिला परिषद्, चतरा द्वारा कराया जा रहा है, जो अधूरा है ।
2. क्या यह बात सही है कि चतरा जिला के उपर्युक्त प्रखण्डों के स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण में संलग्न अभियन्ताओं द्वारा घपला–घोटाला किए जाने के कारण भवन निर्माण संबंधी कार्य बन्द है;	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हंटरगंज एवं ईटखोरी का निर्माण कार्य जिला परिषद् के सहायक अभियन्ता श्री ललन चौधरी द्वारा कराया जा रहा था, जिनके विरुद्ध उपायुक्त द्वारा राशि गवन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज किया गया है । कार्य अभी बन्द है ।
3. क्या यह बात सही है कि भवन नहीं रहने से वहाँ लाखों रुपयों का स्वास्थ्य संबंधी मशीन खराब हो रहे हैं;	अस्वीकारात्मक है ।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चतरा जिला के सभी प्रखण्डों के स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन का निर्माण शीघ्र कराने का विचार रखती है, हॉ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	सिविल सर्जन, चतरा के पत्रांक– 1124, दि0– 31.08.12 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदनानुसार श्री ललन चौधरी द्वारा कराए गए कार्यो का मूल्यांकन के पश्चात् अवशेष कार्यो का पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । जिसपर स्वीकृति के पश्चात् निविदा द्वारा कार्य प्रारंभ किया जाएगा ।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0यो0वि0स0 (अ0सू0)– 04/12– 569(5) स्वा0, राँची, दिनांक: 5.9.12

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 2196/वि0स0, दिनांक 14.08.12 के क्रम में 5 (पाँच) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5.9.12
सरकार के उप सचिव ।

रजनीकान्त प्रकाश/कम्प्यूटर ऑपरेटर ।

श्री माधव लाल सिंह, स० वि० स०, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक 06.09.2012 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–सं–22 के संबंध में।

क्रं०	प्रश्नकर्त्ता– श्री राम दास सोरेन, स० वि० स०	उत्तरदाता– श्री हेमलाल मुर्मू मंत्री स्वा० चि० शि० एवं प० क० विभाग
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के सिविल सर्जन श्री एस0 के0 सिंह ही बोकारो जिला के सिविल सर्जन के प्रभार में है ?	अस्वीकारात्मक। बोकारो जिला में डॉ0 सुरेन्द्र नाथ तिवारी सिविल सर्जन के पद पर पदस्थापित है।
2	क्या यह सही बात है कि खण्ड 1 में वर्णित सिविल सर्जन बोकारो जिला के प्रभार के दौरान ही 13 नर्सिंग होम में दिनांक–21 जून 2012 को छापामारी कर अल्ट्रासाउंड मशीन की जॉच की है ?	स्वीकारात्मक। दिनांक–11.06.2012 से 23.06.12 तक जॉच दल द्वारा कुल 44 अल्ट्रासाउण्ड मशीनों की जॉच की गई।
3	क्या यह सही बात है कि खण्ड 2 में वर्णित छापामारी के पश्चात् सिविल सर्जन द्वारा आज तक नर्सिंग होमों के विरूद्ध कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गयी है ?	अनियमितता पाये जाने के कारण 05 अल्ट्रासाउण्ड मशीनों को सील किया गया।
3	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार ऐसे भ्रष्ट तथा अपने दायित्व के प्रति लापरवाही सिविल सर्जन को निलंबित कर जॉच कराना चाहती हैं, हॉ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 3/वि०स०–03–08/12 381(3) राँची, दिनांक– 5/9/12

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र० 2977 दिनांक 29.08.12 के क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेश कुमार वर्मा)
सरकार के उप सचिव

(78)

श्री बन्ना गुप्ता, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–06.09.2012 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न सं० – 25 का प्रश्नोत्तर

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में लगभग 69 प्रतिशत बच्चे गंभीर कुपोषण का शिकार है ;	नकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में 80 प्रतिशत गंभीर कुपोषण का शिकार है;	नकारात्मक
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य से कुपोषण मिटाने के लिए ठोस योजना बनाने की विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यो	कुपोषण जैसे संवेदनशील मुद्दे को राज्य सरकार ने गंभीरता से लेते हुए राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 15 नवम्बर 2011 को **'जीवन आशा'** कार्यक्रम का शुभारंभ किया है अति गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें समुचित चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने तथा समुदाय आधारित प्रबंधन एवं नियमित अंतराल पर follow-up के माध्यम से स्वास्थ्य बच्चें की श्रेणी में लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह कार्यक्रम पूरे राज्य में क्रियान्वित की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग

ज्ञापांक – स० क०/वि0स0 अ0सु0 प्र0 – 281/2012– 1503 राँची, दिनांक : 05/09/ 2012

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं०–3016 वि० स० दिनांक – 01.09.2012 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/09/12

(कंचन अंजली मुण्डू)
सरकार के उप सचिव।

79

माननीय श्री समरेश सिंह, सदस्य विधान सभा झारखण्ड राँची द्वारा दिनांक 06.09.2012 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्र0सं0 –स0–5 का उत्तर सामाग्री

प्रश्नकर्त्ता	*उत्तर*
माननीय श्री समरेश कुमार सिंह, स0वि0स0	माननीय मंत्री, स्वास्थ्य चिकत्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद सिविल सर्जन, श्री शशिभूषण सिंह, पर करोडो रूपये घोटाले प्रमाणित हो चुके है, जिसका विस्तृत जाँच रिपोर्ट क्षेत्रीय उप निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ, उत्तरी छोटानागपुर ने पत्रांक–279 दिनांक 28.06.2011 के तहत सरकार के सचिव को प्रेषित किया है, मगर आज तक उनपर कोई कार्रवाई नही किये गये है।	• क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, उत्तरी छोटानागपुर के पत्रांक–279 दिनांक 28.06.2011 के तहत कार्रवाई के लिए विभागीय कार्यवही संचालन के लिए संकल्प निर्गत किया जा चुका है, (संकल्प सं0–176(18) दिनांक 07.08.2012
2. क्या यह बात सही है कि धनबाद के स्वास्थ्य विभाग के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी श्री टीपु राय, एवं श्री घनश्याम महतो, उनके पटना स्थित आवास में रहते है।	• वस्तु स्थिति के संबंध में विभागीय कार्यवाही पर जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर स्थिति स्पष्ट हो जायगा।
3. क्या यह बात भी सही है कि अधिकार क्षेत्र से बाहर स्थानातरण पदस्थापन कर मोटी रकम वसूलने का भी इन पर आरोप है।	• वस्तु स्थिति के संबंध में विभागीय कार्यवाही पर जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर स्थिति स्पष्ट हो जायगा।
4. यदि उपयुक्त खण्डो का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार ऐसे महा घोटालेबाज भ्रष्ट अधिकारी पर कार्रवाई करने का बिचार रखती है, हॉ तो कब तक नही तो क्यो :–	• उपयुक्त विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन के फलाफल के अनुसार विभाग से यथोचित कार्रवाई की जायगी।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक– 219(18) दिनांकः– 5/9/12

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0 2216 दिनांक–21.08.2012 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5.9.12
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक– 219(18) दिनांकः– 5/9/12

प्रतिलिपिः–माननीय विभागीय मंत्री स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखण्ड राँची के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी संसदीय कार्य प्रशाखा–17 मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5.9.12
सरकार के उप सचिव ।

(80)

माननीय श्री चन्द्रशेखर दूबे, स0 वि0 स0 द्वारा मानसून सत्र में दिनांक 06.09.2012 को पूछाजानेवाला अल्पसूचित प्रश्न सं०–15 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिलान्तर्गत मझीआंव एवं कांडी प्रखण्ड स्थित सैकड़ों गाँव विगत 20 वर्षों से सूखा से प्रभावित होते रहे है ;	आशिंक रूप से स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि इस क्षेत्र में मानसून के अतिरिक्त सिंचाई का कोई अन्य साधन नहीं है ;	प्रश्नगत् प्रखंडों के कुछ गांवों में वांया बांकी सिंचाई योजना से सिंचाई कार्य होता है।
3. क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र में बहने वाली सुख नदी, बाई बाँकी नदी एवं दोकरी नदी का जल यूँही बर्बाद हो जाता है ;	वांया बांकी नदी पर दो सिंचाई योजना निर्मित है यथा– नगर उंटारी प्रखंड में वांया बांकी जलाशय योजना एवं रमना प्रखंड में वांया बांकी सिंचाई योजना। वांया बांकी सिंचाई योजना से मझियांव प्रखंड के कुछ गांव (दवनकारा, पुरहे, करूई वनजारी एवं सेमरी) इत्यादि में सिंचाई कार्य किया जाता है।
4. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार खण्ड 3 में वर्णित नदियों पर बाँध बनाकर उपर वर्णित प्रखण्ड के किसानों को सिंचाई सुविधा मुहैया कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वांया बांकी नदी पर योजना निर्मित है। सुख नदी योजना का विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डी०पी०आर०) मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची द्वारा तैयार किया जा रहा है। दोकरी नदी पर अभी तक कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात तकनीकि सम्भाव्यता के आधार पर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः– 6 / ज0स0वि0–10–36 / 2012:– 4597 राँची, दिनांक– 3/9/12

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–2849 / वि0 स0, राँची दिनांक–24.8.2012 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर / मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग / प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/9/12

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची

माननीय श्री योगेन्द्र साव, स०वि०स० द्वारा दिनांक– 06.09.2012 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–06 का उत्तर प्रतिवेदन

(8)

क्र0	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
	क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला के प्रखण्ड केरेडारी में घाघरा डैम मरम्मति कार्य सिंचाई हेतु जनहित में अति उपयोगी एवं लाभदायी योजना है।	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि जी0एस0आई0 कोलकाता द्वारा दिये गये परामर्श एवं रूपांकण संगठन द्वारा प्राक्कलन की जाँच के पश्चात् प्राक्कलन इस वर्ष सुधारोपरान्त प्राप्त हुआ है।	स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार घाघरा जलाशय में जल रिसाव को रोकने के लिए प्राप्त प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए बजट उपलब्ध कराने की विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः 6 / ज0सं0वि0–10–34 / 12 4635 / राँची, दिनांक 4.9.12 /

प्रतिलिपिः श्री नवीन कुमार, अवर सचिव, झारखण्ड, विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं० –प्र0 2217 वि0स0 दिनांक 21.08.2012 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कांके, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

3. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग / मुख्य अभियंता, आयोजन एवं मोनिटरिंग, राँची, जल संसाधन विभाग / प्रशाखा पदा०–6 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव (अभि०)
जल संसाधन विभाग

(82)

श्री अरविन्द कुमार सिंह, स० वि० स०, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक 06.09.2012 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–सं–16 के संबंध में।

क्रं०	प्रश्नकर्त्ता– श्री अरविन्द कुमार सिंह, स० वि० स०	उत्तरदाता– श्री हेमलाल मुर्मू मंत्री स्वा० चि० शि० एवं प० क० विभाग
1	क्या यह बात सही है कि डॉ0 शिवशंकर हरिजन वर्ष 2006–07 से सरायकेला–खरसावॉ में चिकित्सा पदाधिकारी, जिला मलेरिया पदाधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर कार्यरत है ?	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह सही बात है कि खण्ड 1 में वर्णित डॉक्टर विभागीय परीक्षा में अनुतीर्ण है फिर भी उनको अनियमित रूप से प्रोन्नति दी गई है ?	अस्वीकारात्मक।
3	क्या यह सही बात है कि खण्ड 1 में वर्णित मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा उपायुक्त कार्यालय, सरायकेला–खरसावॉ से निर्गत पत्रांक–69, दिनांक–08.12.08 पर उपायुक्त, सरायकेला–खरसावॉ का फर्जी हस्ताक्षर कर निर्गत किया गया है ?	अस्वीकारात्मक। पत्रांक–69 दिनांक–08.12.08 पर तत्कालीन अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का ही हस्ताक्षर है। परन्तु उपायुक्त सरायकेला–खरसावॉ से दिनांक–22.01.09 को इसकी घटनोत्तर स्वीकृति ले ली गई है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार खण्ड–1 में वर्णित मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करना चाहती है यदि हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यो ?	स्थिति उपर स्पष्ट कर दी गई है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 3/वि०स०–03–07/12 380(3) राँची, दिनांक– 5/9/12

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र० 2926 दिनांक 25.08.12 के क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(फ्रांसिस्का मिंज)
सरकार के विशेष सचिव

(83)

श्री अमित कुमार यादव, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–23 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री अमित कुमार यादव, माननीय स0वि0स0	श्री हाजी हुसैन अंसारी, माननीय मंत्री, सहकारिता तथा कल्याण (आदिवासी कल्याण रहित) विभाग, झारखण्ड, राँची

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, सहकारिता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में वर्ष 2009–10 में पड़ें सूखाड़ के दौरान किसानों द्वारा कराये गये फसल बीमा की राशि का भुगतान अब तक नहीं किया गया है ;	अस्वीकारात्मक है। वर्ष 2009–10 में किसानों द्वारा कराये गये फसल बीमा की क्षतिपूर्ति राशि मो0 249.00 करोड़ का भुगतान संबंधित किसानों को कर दिया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि फसल बीमा की राशि के भुगतान हेतु सरकार द्वारा वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में 249 करोड़ रूपये राष्ट्रीयकृत बैंकों को उपलब्ध कराये जा चुके हैं, लेकिन बैंक द्वारा राशि नहीं दी जा रही है ;	अस्वीकारात्मक है। वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में फसल बीमा के क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा संबंधित किसानों को उनके खाते के माध्यम से कर दिया गया है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार व्यापक लोकहित में वर्ष 2009–10 में स्वीकृत फसल बीमा की राशि का भुगतान किसानों को अविलम्ब कराना चाहती है, हॉ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक है। उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
सहकारिता विभाग

ज्ञापांक– विधान मण्डलीय–5– 31/2012 2553 **/राँची, दिनांक–** 05/09/2012

प्रतिलिपिः– सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप संख्या प्र0 3010 दिनांक 31.08.2012 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दिलीप कुमार झा)
सरकार के उप सचिव।

Vidhan Sabha

(84)

श्री जगरनाथ महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–06.9.2012 को पूछा जाने वाला
अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–10 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री जगरनाथ महतो, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत प्रतापपुर पावर सब–स्टेशन से 4 फीडर 33 के०भी०ए० का एवं 7 फीडर 11 के०वी०ए० का निकला है ;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि सभी फिडरों का ब्रेकर खराब है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। 33 के०भी० पीरटाँड, खरपिटो मानटाँड़ एवं 11 के०भी० गोमो फीडर, इसरी नया फीडर, मधुबन, नारंगी फीडर में ब्रेकर लगे हुए हैं, जो कि सुचारू रूप से कार्य नहीं करते हैं। शेष 11 के॰भी॰ नावाडीह, उत्तराखण्ड एवं 33 के॰भी॰ बनासो फीडर में ब्रेकर नहीं लगेहै। एक 33 के॰भी॰ ब्रेकर उपलब्ध हुआ है, जिसे लगा दिया गया है।
3. क्या यह बात सही है कि उक्त सब–स्टेशन में खपत के अनुसार विद्युत आपूर्ति नहीं की जाती है ;	स्वीकारात्मक है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पावर सब–स्टेशन में खपत के अनुसार विद्युत आपूर्ति करने एवं ब्रेकर लगाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	स्वीकृत भार 6 एम०भी०ए० है जबकि आवश्यकता ज्यादा ऊर्जा की है। गिरिडीह में विद्युत आपूर्ति डी०भी०सी० से लेकर की जाती है, तथा आपूर्ति के अनुसार भुगतान डी०भी०सी० के बकाये के भुगतान की स्थिति बेहतर होने के पश्चात् गिरिडीह को ज्यादा आपूर्ति की जा सकेगी। ब्रेकर क्रय की प्रक्रिया चल रही है। उपलब्ध होते ही बदल दिया जाएगा। लगभग दो माह में ब्रेकर लगाने का कार्य पूरा हो जाएगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2362 / दिनांक 03-09-2012

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/9/12

सरकार के अवर सचिव

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 06.09.12 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0 14 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्ताः— श्रीमती अन्नपूर्णा देवी मा0स0वि0स0, झारखण्ड, राँची।	उत्तरदाताः— श्री हेमलाल मुर्मू, माननीय, मंत्री, स्वा0 चि0शि0 एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि पिछले दस वर्षो में डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर और रेजिडेंट डॉक्टर मिलाकर कुल 200 लोग योगदान देने के बाद रिम्स छोड़ चुकें है ।	अंशतः स्वीकारात्मक। वर्ष 2005 से अबतक कुल 36 चिकित्सक अपने निजी एवं अन्य कारणों से संस्थान छोड़ चुके हैं। जुनियर रेजिडेंट एकेडमिक एवं नन एकेडमिक टेन्योर समाप्ति के पश्चात नियमानुसार संस्थान छोड़ कर चले जाते हैं।
2. क्या यह बात सही है रिम्स में जूनियर रेजिडेंट के 54, असिस्टेंट प्रोफेसर के 27, एसोसिएट प्रोफेसर के 24 तथा प्रोफेसर के 8 पद रिक्त पड़े हैं ।	स्वीकारात्मक। रिम्स, राँची में वरीय रेजिडेंट के 59, असिस्टेंट प्रोफेसर के 26, एसोसिएट प्रोफेसर के 26 तथा प्रोफेसर के 08 चिकित्सा पदाधिकारी के 05 एवं फिजियोथेरापिस्ट के 01 पद अर्थात् कुल मिलाकर 125 पद रिक्त हैं।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार रिम्स में डॉक्टरों की कमी को दूर करने का विचार करती है हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	रिम्स के विज्ञापन सं0 3619 दिनांक 07.06.12 द्वारा उपरोक्त 125 रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 20.07.12 तक निर्धारित थी। प्राप्त आवेदनों के जाँचोपरान्त दिनांक 15.09.12 से इन पदों पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार प्रारंभ होगी। इसके पश्चात् चिकित्सकों की नियुक्ति की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः—11/रिम्स,वि0स0—05—12/2012 155(11) दिनांकः— 5.9.12

प्रतिलिपिः—अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 2856 दिनांक 24.08.12 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

05/09/12

सरकार के संयुक्त सचिव।

(86)

श्रीमती कुन्ती देवी, माननीया स0वि0स0 द्वारा दिनांक–06.9.2012 को पूछा जाने वाला
अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–02 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्रीमती कुन्ती देवी, माननीया स०वि०स०		उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिले में पिछले कई माह से कोई भी नया ट्रांसफार्मर बोर्ड द्वारा निर्गत नहीं किया गया है ;		अस्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिले में कई स्थानों पर पोल एवं तार लगा कर नया ट्रांसफार्मर का इन्तजार किया जा रहा है ;		स्वीकारात्मक है।
3. क्या यह बात सही है कि नया ट्रांसफार्मर नहीं उपलब्ध रहने के कारण जिले के पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि को जनता के असंतोष का सामना करना पड़ता है ;		आंशिक स्वीकारात्मक है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार धनबाद जिले में नया ट्रांसफार्मर यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?		01 जनवरी 2012 से अगस्त 2012 के बीच 200 के०भी०ए० –30 अदद 100 के०भी०ए० –24 अदद 63 के०भी०ए० –20 अदद ट्रांसफार्मर बोर्ड द्वारा धनबाद के लिए निर्गत किये गये हैं, जिन्हें आवश्यकता वाली जगहों पर प्राथमिकता के आधार पर लगाये गये हैं।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2368 / दिनांक 03-09-2012

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/9/12
सरकार के अवर सचिव

(87)

श्री रघुवर दास मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 06.09.12 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0 21 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ताः– श्री रघुवर दास_मा0स0वि0स0, झारखण्ड, राँची।	उत्तरदाताः– श्री हेमलाल मुर्मू, माननीय, मंत्री, स्वा0 चि0शि0 एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य सेवा के तहत् प्रत्येक राज्य में प्राथमिक (Primary) द्वितीय (Secondary) तथा टरसियरी केयर (Tertiary Care) सुविधा प्रमंडल स्तर पर उपलब्ध कराने का प्रावधान है ,	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में प्राथमिक (Primary) द्वितीय (Secondry) सुविधा मापदंड के अनुसार है परन्तु Tertiary केयर की सुविधा नहीं हैं ,	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि Tertiary केयर के तहत् Urology, Nephrology, Cardiology, Cardiothorasic, Surgery, Nero Surgery एवं Gastrointrology विभाग की आवश्यकता होती है,	स्वीकारात्मक है।
4. क्या यह बात सही है कि राज्य के RIMS, M.G.M. Jamshedpur तथा Patliputra Medical College धनबाद में खण्ड–2 में वर्णित विभाग कार्यरत् नहीं हैं ,	पी0एम0सी0एच0, धनबाद एवं एम0जी0एम0 चिकित्सा महाविद्यालय, जमशेदपुर में उक्त विभाग कार्यरत् नहीं है। रिम्स, राँची में Urology, Nephrology, Cardiology, Cardiothorasic, Surgery, Nero Surgery एवं Gastroentrology विभाग कार्यरत् एवं क्रियाशील है। वर्त्तमान में Nephrology, से संबंधित कार्य औषधि विभाग द्वारा तथा Gastroentrology विभाग से संबंधित कार्य सामान्य सर्जरी विभाग के चिकित्सकों द्वारा किया जाता है।
5. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार RIMS, M.G.M. Jamshedpur तथा Patliputra Medical College धनबाद में खण्ड 3 में वर्णित विभागों का प्रावधान कर राज्य के नागरिकों को Tertiary Care सुविधा देना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सरकार M.G.M & P.M.C.H में Tertiary Care सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है ।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः– 9 / विधायी–06–14 / 2012 1170 दिनांकः– 5.9.12

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 2957 दिनांक 26.08.12 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

05/09/12

सरकार के संयुक्त सचिव।

कब्रिस्तान का निर्माण ।

88. श्री संजय कुमार सिंह यादव--क्या मंत्री, कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद अनुमंडल अंतर्गत भाई बिगहा तथा मोहम्मदाबाद मुस्लिम बाहुल्य ग्राम है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित दो ग्राम में कब्रिस्तान नहीं है;

(3) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित दोनों ग्रामों में कब्रिस्तान के अभाव में शव को दफनाने में काफी परेशानी होती है;

(4) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित दोनों ग्रामों में कब्रिस्तान का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री

(1) स्वीकारात्मक ।

(2) हुसैनाबाद अनुमंडल अंतर्गत ग्राम भाई बिगहा एवं मोहम्मदाबाद में कब्रिस्तान अवस्थित है ।

(3) अस्वीकारात्मक है ।

(4) सरकार स्तर पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी निर्माण का कार्य कराया जाता है । घेराबंदी का कार्य प्रत्येक वर्ष चरणबद्ध तरीके से पूरा किये जाने का कल्याण विभाग का प्रस्ताव है, जो कब्रिस्तानों की संवेदनशीलता तथा राशि की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विचार किया जाता है ।

---

(89)

श्री बन्ना गुप्ता, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–06.9.2012 को पूछा जाने वाला
अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–04 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री बन्ना गुप्ता, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि अनियमित मीटर रीडिंग के कारण विद्युत विभाग को प्रत्येक माह करोड़ों रूपये की क्षति हो रही है ;	अस्वीकारात्क है। स्टर्लींग ट्रांसफार्मर प्रा० लिमिटेड द्वारा स्पॉट बिलींग एवं कम्प्यूटराईजड बिलींग का कार्य लगभग 80–85 प्रतिशत तक प्रतिमाह किया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि जमशेदपुर एरिया बोर्ड ने जून 2012 माह में 40 करोड़ रूपये राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया था परन्तु मात्र 34.9 करोड़ की ही वसूली हो पाई;	माह जून 2012 में जमशेदपुर एरिया बोर्ड को राजस्व वसूली का लक्ष्य 55.00 करोड़ रूपये निर्धारित किया गया था, जिसके विरूद्ध 48.00 करोड़ राजस्व संग्रहण हुआ है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मीटर रीडिंग का काम कर रही एजेंसी स्टार्लिंग ट्रांसफार्मर प्राईवेट लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	बोर्ड जमशेदपुर अंचल के लिए Urban Franchisee की चयन की प्रक्रिया कर रही है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2358 / दिनांक 03-09-2012

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/9/12
सरकार के अवर सचिव

(90)

माननीय श्री संजय प्रसाद यादव, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 06.09.2012 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न सं०–26 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के वसंत राय प्रखंड के वनियाडीह उलताहा बाँध में गार्डवाल का निर्माण नहीं किया गया है, जो सुन्दर नदी पर अवस्थित है ;	स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि गार्डवाल के निर्माण होने से वसंतराय, महगामा, गोड्डा प्रखंड के 20 हजार एकड़ क्षेत्र में पटवन का पानी उपलब्ध कराया जा सकता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता के आधार पर गार्डवाल का निर्माण कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत स्थल के सर्वेक्षण कराने, संभाव्यता एवं क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर एवं संभाव्यता प्रतिवेदन के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई के निदेश दिये गये हैं।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः– 6 / ज0स0वि0–10–42 / 2012:– 4696 राँची, दिनांक– 5-9-12

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–3018 / वि0 स0, राँची दिनांक–01.09.2012 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर / मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग / प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/9/12

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची

अ० सू० 91

मानननीय स०वि०स० श्री सावना लकड़ा द्वारा दिनांक 06.09.2012 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न सं०– अ0सू0–19 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	
1. क्या यह बात सही है कि रांची जिलान्तर्गत अनगड़ा प्रखण्ड में गेतालसूद डैम के उपर में जो रोड है वह जर्जर स्थिति में रहने के कारण ग्रामीणों ने उसमें धान का रोपा कर दिया है, जिससे डैम रोड के धंसने की संभावना बढ़ गई है ?	डैम के उपर निर्मित पथ छोटे वाहनों के लिए था जिसपर भरी वाहनों में आवागमन के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। रोड पर धान नही रोपा गया है।
2. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार गेतालसूद डैम के उपर के पथ की मरम्मति का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	गेतालसूद जलाशय योजना के रख–रखाव हेतु पेयजल एवं स्वच्छता विभाग तथा झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा राशि उपलब्ध करायी जाती है। इन विभागों से राशि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। राशि प्राप्त होने पर डैम के उपर के पथ का मरम्मति कार्य कराया जा सकता है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः 6/ज0सं0वि0–10–37/2012 4658/राँची, दिनांक 5-9-12/

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड, विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र० – 2929 वि० स० दिनांक 25.08.2012 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कांके, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

3. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, रांची/मुख्य अभियंता, आयोजन एवं मोनिटरिंग, राँची, जल संसाधन विभाग/प्रशाखा पदा०–6 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/9/12

संयुक्त सचिव (अभि०)
जल संसाधन विभाग

E:\2\MINZ\vidhan sabha\12-13\Sawna Lakra_J-21.doc 1

(92)

माननीय स०वि०स०, श्री सावना लकड़ा के द्वारा दिनांक ..... को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–24 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना सुवर्णरेखा परियोजना के लिए वर्ष 2012–13 में ए०आई०बी०पी० के तहत् 600 (छः सौ) करोड़ रूपये का प्रावधान है, परन्तु जुलाई माह तक मात्र 41 करोड़ रूपये ही खर्च किया जा सकता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2012–13 में इस योजना पर कुल 48.04 करोड़ का व्यय माह जुलाई 2012 तक किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि परियोजना के कार्यों के लिए कार्य एजेन्सी को एस०बी०डी० एकरारनामा के तहत् कार्यों में प्रगति लाने हेतु बैंक गारंटी के विरूद्ध दस प्रतिशत राशि मोबलाइजेशन एउवांस दिये जाने का प्रावधान है, जिस पर विभाग द्वारा अभी रोक है ;	अस्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि ए०आई०बी०पी० ने परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य 2015 तक निर्धारित किया है और इस अवधि में काम पूरा न किया गया तो केन्द्र से मिलने वाली अनुदान की राशि ऋण में बदल जायेगी ;	स्वीकारात्मक है।
4.	यदि उपर्युक्त प्रश्नखंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सिंचाई परियोजना के कार्यों में प्रगति सुनिश्चित करने के लिए एकरारनामा के शर्त्तों के अनुसार मोबिलाइजेशन एडवांस देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	मोबलाइजेशन एडवांस देने पर रोक नहीं है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०सं०वि०–10–41/2012– 4694 राँची, दिनांक 5.9.12

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक– 3011 दिनांक 31.08.2012 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/9/12

सरकार के संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची।

श्री बंधु तिर्की स0वी0स0 द्वारा दिनांक–06.09.12 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–12 का उत्तर सामग्री। (93)

क्र०	प्रश्न	माननीय मंत्री आदिवासी कल्याण का उत्तर।
1.	क्या यह बात सही है कि टाना भगत आवासीय विद्यालय, सोनचिप्पी, चान्हो, रांची, के नवी कक्षा का छात्र कमलेश उरांव का स्वास्थ्य दिनांक–27.06.12 को खराब हो जाने के कारण इलाज के लिए छात्रावास से रिम्स, रांची ले जाया गया, जहां डाक्टर द्वारा मृत उसे घोषित कर दिया गया?	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि कमलेश उरांव के अभिभावक की अनुपस्थिति में उसका पोस्टमॉर्टम कराकर पार्थिव शरीर को स्कूल के छात्रों द्वारा मृतक के गांव भेज दिया गया?	आंशिक स्वीकारात्मक। जिला कल्याण पदाधिकारी, रांची एवं आदिवासी कल्याण आयुक्त के प्रतिवेदन के अनुसार स्व० कमलेश उरावं को इलाज हेतु रिम्स ले जाने के क्रम में ही स्व० उरांव के अभिभावक को फोन के माध्यम से अवगत करा दिया गया था। रिम्स में मृत घोषित किये जाने के पश्चात् पार्थिव शरीर को पोस्टमॉर्टम के बाद उनके अभिभावक को सौंपा गया था।
3.	यदि उपरोक्त प्रश्न खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो, क्या सरकार, अभिभावक को समुचित सूचना नहीं देने वाले दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने तथा मृतक कमलेश उरांव के परिजन को मुआवजा राशि देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	अस्वीकारात्मक। उक्त कण्डिकाओं में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
कल्याण विभाग।

ज्ञापांक : 2/वि०स०–84/2012–2176 रांची, दिनांक : 2-9-12

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को 200 प्रतियों के साथ उनके ज्ञाप संख्या–2232 दिनांक–22.08.12 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(नसीम खान),
सरकार के उप सचिव।

Vidhan Sabha Que.

(94)

श्री अरविन्द कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–06.9.2012 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–17 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता **श्री अरविन्द कुमार सिंह, माननीय स०वि०स०**	**उत्तरदाता** **प्रभारी मंत्री**
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के स्वर्णरेखा नदी के किनारे राँची, सिल्ली, कुकडू में हाइडल पावर प्लांट विभिन्न पावर कम्पनियों के द्वारा लगाया गया है ;	अस्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि पावर प्लांट लगाने के पूर्व प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा एन०ओ०सी० नहीं लिया गया है ;	अस्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि पावर प्लांट द्वारा निर्माण के दौरान और अभी छाई, राख तथा अन्य अपशिष्ट नदी के प्रवाह में बहाया जा रहा है, जिससे नदी का जल अत्यंत प्रदूर्षित हो रहा है ;	अस्वीकारात्मक। हाईडल पावर प्लांट से छाई, राख जैसे अपशिष्ट पदार्थ निकलते ही नहीं है।
4. यदि उपर्युक्तखण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित प्रदूषण फैलाने वाली पावर कंपनियों पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	स्वर्णरेखा नदी के किनारे राँची, सिल्ली, कुकडू में सरकार या किसी निजी कम्पनी द्वारा कोई हाइडल पावर प्लांट स्थापित नहीं की गयी है और न ही फिलहाल प्रस्तावित है, इसलिये प्रदूषण फैलाने का प्रश्न ही नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2360 /

दिनांक 03-09-2012

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/9/12

सरकार के अवर सचिव

95

श्री प्रदीप यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–06.9.2012 को पूछा जाने वाला
अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–20 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री प्रदीप यादव, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के पोड़ेयाहाट प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम–मानीकपुर का ट्रांसफार्मर बदलने के नाम पर सहायक विद्युत अभियंता अजय कुमार सिंह ने 20 हजार का घुस ग्रामीणों से लिया था ;	मामले की जाँच प्रक्रिया में है। श्री अजय कुमार सिंह, सहायक विद्युत अभियंता को निलंबित कर दिया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि उपायुक्त गोड्डा के आदेशानुसार अनुमंडलाधिकारी गोड्डा ने पत्रांक–636/गो०, गोड्डा, दिनांक–25.6.2012 समर्पित प्रतिवेदन में घूस लेने की बात को सही ठहराया है ;	अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पत्रांक–636/गो०, दिनांक–25.6.12 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रथम दृष्टया श्री अजय कुमार सिंह, सहायक विद्युत अभियंता पर लगाए गए आरोप प्रमाणित होते है।
3. क्या यह बात सही है कि दिनांक–28.6.2012 को सम्पन्न गोड्डा जिला योजना समिति में अध्यक्ष ने सर्वसम्मति से अजय कुमार सिंह की सेवा बर्खास्ती का निर्णय विभाग को भेजा है ;	उपायुक्त गोड्डा ने पत्र संख्या 1014 दिनांक–28.6.2012 के द्वारा विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, गोड्डा को श्री अजय कुमार सिंह, सहायक विद्युत अभियंता का वेतन स्थगित करते हुए उनके विरूद्ध आरोप पत्र विहित प्रपत्र–'क' में गठित कर विभाग को एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने तथा कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का निर्देश दिया है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अजय कुमार सिंह, सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, गोड्डा को बर्खास्त करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपायुक्त गोड्डा के पत्र संख्या 1014 दिनांक–28.6.2012 एवं इस मामले में विभाग को प्राप्त विद्युत अधीक्षण अभियंता के प्रतिवेदन के आधार पर श्री अजय कुमार सिंह, सहायक विद्युत अभियंता को बोर्ड के कार्यालय आदेश संख्या 1662, दिनांक–30.8.2012 के द्वारा निलंबित कर दिया गया है एवं उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2354 / दिनांक 03-09-2012

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/9/12
सरकार के अवर सचिव